

(८८)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3562-एक / 2012 विरुद्ध आदेश दिनांक
27-09-2005 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील जौरा जिला मुरैना के प्रकरण
क्रमांक 04 / अ-19 / 2004-05

रामप्रकाश गुर्जर पुत्र गिरन्धा सिंह गुर्जर
निवासी ग्राम खाडोली तहसील जौरा
जिला-मुरैना
हाल निवासी न्यू गांधी कॉलोनी मुरैना म0प्र0

..... आवेदक

विरुद्ध

1—गजराज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिकरवार
2—देशराज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिकरवार
निवासीगण ग्राम कोक सिंह का पुरा मौजा खाडोली
तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

श्री एल0एस0धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

॥ आ दे श ॥

(आज दिनांक १०/६/१५ को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू०-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील जौरा जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-09-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

४२१

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1354 में से 9 बीघा 10 विस्ता के संबंध में अनावेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा होने से अनावेदक के हित में भूमि का व्यवस्थापन किया जाये । उक्त आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण क्रमांक 04/अ-19/2004-05 पर दर्ज कर विधिवत् उद्घोषणा जारी नहीं की और न ही आपत्ति आमंत्रित की तथा पटवारी हल्का से भी स्थल निरीक्षण नहीं कराया जाकर पटवारी रिपोर्ट नहीं ली व पटवारी के कथन लिपिबद्ध नहीं कराये गये । अनावेदक के कथन कराये जाकर स्वतंत्र साक्ष्य प्रकरण में नहीं ली गई । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक गण के हित में दिनांक 27-9-2005 को व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया परन्तु व्यस्थापन आदेश से पूर्व आवेदक को न तो पक्षकार बनाया गया और ना ही व्यवस्थापन से पूर्व आवेदक कब्जाधारी को कब्जे से बेदखल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई । सीधे अनावेदक के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित कर दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 27-9-05 से आज दिनांक तक अनावेदक का कोई कब्जा नहीं है । आवेदक ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर भूमि का उपयोग कर रहा है । आवेदक को मौके से बेदखल किये जाने के लिये अनावेदकगण मौके पर दिनांक 30-8-2012 को कब्जा लेने आये तब सर्वप्रथम तहसील कार्यालय जाकर आवेदक ने रीडर से दिनांक 1-9-12 को जानकारी प्राप्त कर नकल आवेदन दिया व दिनांक 19-9-2012 को तहसील न्यायालय के विवादित आदेश दिनांक 27-9-2005 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 27-9-05 से व्यक्तित्व होकर आवेदक के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क में बताया है कि आवेदक भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्ति होकर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् नहीं कार्यवाही करते हुये आवेदक के हित में व्यवस्थापित नहीं की गई है । अनावेदकगण का उक्त भूमि पर ना तो कब्जा है और न ही उसे व्यवस्थापन की पात्रता है जबकि नायब तहसीलदार तहसील जौरा द्वारा बिना किसी अधिकार क्षेत्र के अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया है । आवेदक द्वारा

(G-2)

विवादित भूमि श्रम धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। आवेदक के द्वारा स्वयं के खर्च पर विवादित भूमि को सिंचित किया है एवं इसके अलावा इनके पास अन्य कोई साधन अपना व अपने परिवार के भरण पोषण के लिये नहीं है। तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के हित में विधिवत् कार्यवाही न कर केवल व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त भूमि व्यवस्थापित की है जबकि अनावेदकगण भूमिहीन व्यक्ति नहीं है उनके पास पूर्व से पर्याप्त भूमि है। भूमि व्यवस्थापन करने के लिये प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 2-10-84 के पूर्व से निरन्तर कब्जा होना चाहिये। अनावेदक का ना तो दिनांक 2-10-84 के पूर्व कब्जा रहा है और न ही उसके बाद ही अनावेदक का कब्जा रहा है। लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि शासन की मंशा है कि भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्तियों को भूमि व्यवस्थापित की जाना चाहिये परन्तु अनावेदकगण के पास पर्याप्त भूमि होने के बाद भी अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने से व्यवस्थापन आदेश नहीं किया जा सकता इस कारण तहसील न्यायालय का आदेश अधिकार रहित होकर निरस्ती योग्य है। तहसील न्यायालय ने आवेदक को बिने सुने तथा स्थल की जाँच भी नहीं कराई गई और न ही पटवारी के कथन प्रकरण में लिये गये तथा ग्राम पंचायत से भी अभिमत नहीं चाहा गया है केवल फर्जी तरीके से अनावेदक प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति होने से व्यवस्थापन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। आवेदक के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 2-10-84 के पूर्व से कब्जा है। तहसील न्यायालय ने यह भी नहीं देखा कि अनावेदकगण का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर है या नहीं, उसे कोई विचार नहीं किया गया तथा विवादित प्रकरण में कोई जाँच नहीं कराई गई। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त भूमि शासन हित में किये जाने की कृपा करें।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि अनावेदकगण भूमि हीन कृषि मजदूर व्यक्ति होकर विधिवत् कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के हित में व्यस्थापित की गई है। अनावेदकगण का उक्त भूमि पर दिनांक 2-10-84 को कब्जा प्रमाणित है। अनावेदकगण को व्यवस्थापन की पात्रता है। नायब तहसीलदार जौरा द्वारा

10-10-2012
गुरुवार

अधिकार क्षेत्र में होने से अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया है। इस आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-05 यथावत् रखे जाने योग्य है। आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई कब्जा अंकित नहीं है। कब्जे के संबंध में कोई रसीद अथवा अर्थ दण्ड आरोपित किया गया हो इस संबंध में प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है तो निगरानी करने का उसे कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अनावेदकगण द्वारा विवादित भूमि में श्रम धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। स्वयं द्वारा खर्च कर विवादित भूमि का सिंचित किया है एवं इसके अलावा अनावेदक के पास अन्य कोई साधन अपना व अपने परिवार के भरणपोषण के लिये नहीं है। शासन की मंशा है कि भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्तियों को भूमि व्यवस्थापित की जाना चाहिये परन्तु अनावेदकगण के पास पूर्व से कोई भूमि होना प्रमाणित नहीं है। अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया है जो विधिअनुकूल होने से यथावत् रखे जाने योग्य है। अनावेदक द्वारा विधिवत् दिनांक 2-10-84 के पूर्व से कब्जा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उक्त कब्जे के आधार पर अनावेदकगण द्वारा विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जिसके आधार पर उद्घोषणा जारी कर आपत्तियाँ आहूत की गई हैं। आपत्तियाँ समयावधि में प्राप्त नहीं हुईं। ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव चाहा गया तथा पटवारी हल्का द्वारा स्थल निरीक्षण कराया जाकर पटवारी के कथन लिपिबद्ध किये गये तथा अनावेदकगण स्वयं के कथन कराये जाकर स्वतंत्र साक्ष्य लिये जाकर विधिवत् नियमों का पालन करते हुये अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 27-9-05 को पारित किया उसे आवेदक द्वारा 7 वर्ष पश्चात् निगरानी में चुनौती दी गई जो अवधि बाह्य होने से ही निरस्ती योग्य है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवस्थापन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तहार जारी कर आपत्ति आमंत्रित की गई तथा हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण कराकर रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। एवं विधिवत् साक्ष्य कराये जाकर प्रकरण में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह प्रकरण भूमि व्यवस्थापन का है । तहसील न्यायालय के अभिलेख में कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2013-14/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-12-2013 की प्रतिलिपि संलग्न है, इससे रपष्ट है कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2004-05/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 27-9-05 को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पुनरीक्षण औचित्यहीन हो जाता है । अतः इसी आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।



(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर